फर्द अहकाम

नाम न्यायालय ACM Ist JPR पप्पूलाल बनाम बद्रीनारायण

केस संख्या प्रा॰ पत्र ब॰ज॰ 28/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	27/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर हैं। उभयपक्ष अधिवक्तागण को बाजदायरी प्रा॰पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सि॰ प्र॰ सं॰ एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर सुना गया। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर प्रार्थी ने दौराने बहस अपने प्रा॰ पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण को उनके अधिवक्ता ने हिदायत दी कि राजस्व प्रकरण में पक्षकार को हर पेशी पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

पन्नालाल बनाम श्रीनारायण वगै०

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर अधम

केस संख्या प्रकरण सं० 28/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27/2/25	कारतकार व्यक्ति होने के कारण दिनांक 23/5/2024 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाए और ना ही उनके अधिवक्ता ने प्रार्थीगण को किसी प्रकार की सूचना दी। दिनांक 01-10-24 को पत्रावली की नकल प्राप्त होने पर प्रार्थीगण को नव नियुक्त अधिवक्ता ने विस्तृत जानकारी दी, प्राप्त राय के अनुसार यह प्रा० पत्र माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी ने कथन किया कि उपरोक्तवर्णित स्थिति एवं परिस्थितियों के आधार पर बाजदायरी प्रा० पत्र प्रस्तुतिकरण में हुआ विलम्ब माफ किया जाकर उक्त प्रा० पत्र

Sd/-

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर अधम

फर्द अहकाम

पप्पूलाल बनाम बद्रीनारायण

न्यायालय ACM Ist JPR

संख्या प्रा.पत्र वाद 28/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	27/1/25	की अन्दर मियाद शुमार करने का आदेश प्रदान करावें। अप्रार्थीगणों ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण अपनी ओर से दायर किए गए वाद की समुचित जानकारी रखने के लिए विधित: आबद्ध है। प्रार्थीगण प्रकरण की समुचित जानकारी नहीं होने के आधार पर किसी प्रकार की छूट प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अत: प्रार्थी का प्रा०पत्र निराधार व घोर निराशाजनक रूप से समय बाधित होने से अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली मय रिकॉर्ड के गहनतापूर्वक	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

पप्पूलाल बनाम श्रीनारायण व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

संख्या प्रा० वाद 28/24

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27/2/25	अवलोकन पर हम पाते हैं कि प्रार्थी ने प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा -151 सि० प्र० सं० देरी से पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा बाजदायरी प्रा० पत्र प्रस्तुतिकरण में हुए विलम्ब को माफ किए जाने के लिए प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा - 5, भारतीय मियाद अधिनियम में पेश किया गया है। उक्त प्रा० पत्र में वर्णित तथ्य एवं परिस्थिति, बाजदायरी प्रा० पत्र के प्रस्तुतिकरण में हुए विलम्ब को माफ करने के लिए समुचित आधार नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रा०पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09, CPC

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

पप्पूलाल बनाम बद्रीनारायण

न्यायालय ACM JPR I st

संख्या प्रा.पत्र बजा. 28/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि
	27/2/25	पर बिना गुणावगुण पर विचार किए, मियाद बाहर होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27/2/25 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	